(484)

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2007—पौष 3, शक 1929

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2007

क्र. एफ. 15-31-2007-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, बाघ, अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का होने के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना आवश्यक है.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को **कान्हा टाइगर रिजर्व** का कोर क्षेत्र घोषित करता है :—

परिशिष्ट

जिला—मण्डला एवं बालाघाट

संरक्षित क्षेत्र—कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

टाइगर रिजर्व का नाम—कान्हा टाइगर रिजर्व

क्षेत्रफल—917.43 वर्ग कि.मी..

सम्मिलित क्षेत्र का विवरण

क्र.	संरक्षित क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित क्षेत्र (वर्ग. कि.मी.)	अन्य क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	योग (वर्ग कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	917.43	0.00	0.00	917.43
	योग . .	917.43	0.00	0.00	917.43

सीमाएं

उत्तर--ग्राम भीमडोंगरी से कटंगीदादर आने वाला नाला जो कि आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 575 व 581 की उभय सीमा बनाता है, कटंगीदादर तक उसके बाद आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 574 और 576 की उभय सीमा वाला नाला जब तक कि वह बहिन नाला से मिलता है और फिर बहिन नाला तब तक जब कि वह उसमें आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 573 एवं 578 की उभय सीमा वाला नाला मिलता है, तत्पश्चात् यह नाला पूर्व से पश्चिम की ओर टोपला आरक्षित वन खण्ड की सीमा तक, उसके टोपला आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह पश्चिम रायगढ़ आरक्षित वन खण्ड की सीमा से वनग्राम कदला, कक्ष क्रमांक, 157 में वनग्राम कदला की पूर्वी सीमा, के पास मिलती है, तत्पश्चात् 157, 100, 104, 106 तथा 105 तत्पश्चात् आरक्षित वन खण्ड रायगढ़ पश्चिम की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. 117 में वनग्राम धनियाझोर की पूर्वी सीमा तक एवं कक्ष क्र. 117 एवं 118 में वनग्राम धनियाझोर की सीमा से अंतर्जिला सीमा, बालाघाट और मण्डला जिलों से बंजर वेली आरक्षित वन के कक्ष क्र. 734, 733, 731, 729, 726 की पूर्वी सीमा होते हुए कक्ष क्र. 728 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा होते हुए 727, 781, 782 की उत्तरी सीमा वनग्राम समूह किसली-भिलवानी की पूर्वी सीमा तक तत्पश्चात् वनग्राम समूह किसली-भिलवानी की पूर्वी दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा कक्ष क्रमांक 677 में निग्गा नाला तक तत्पश्चात्, निग्गा नाला जब तक आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 664, 670 और 671 की सीमाओं के त्रि-संगम तक तत्पश्चात् आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 664 एवं 671 तथा 664 एवं 663 की उभय सीमा जब तक आरक्षित वन कक्ष और तेन्दुआ आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से मोहगांव राजस्व ग्राम के पास मिलती है, इसके बाद तेंदुआ आरक्षित वन खण्ड की सीमा पश्चिमी की ओर जब तक कि वनग्राम कारीवाह से बहने वाला नाला जो आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 659 एवं 660 की उभय सीमा बनाता है, से मिलती है, इसके बाद वनग्राम कारीवाह की दक्षिण सीमा पर वनग्राम कारीवाह से औरई रोड तत्पश्चात् वनग्राम कारीवाह औरई रोड होते हुए सुर्पण नदी तक इसके पश्चात् कक्ष क्र. 655 एवं 657 में सुपर्ण नदी, तत्पश्चात् कक्ष क्र. 656 एवं 657 की उभय सीमा में बहने वाला नाला से कक्ष क्र. 655, 654, .653 एवं 652 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 652 की पश्चिमी सीमा बनाने वाला नाला जब तक राजस्व ग्राम बटवार से मिलता है.

पूर्व—कक्ष क्र. 214 की पूर्वी सीमा जो कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा छतरपुर वनग्राम की सीमा तक तत्पश्चात् छतरपुर वनग्राम की दक्षिण एवं पश्चिम सीमा उत्तर की ओर जो कि वनग्राम पटुवा पश्चिमी सीमा बनाता है तत्पश्चात् दक्षिण की ओर वनग्राम पटुवा तथा छतरपुर की पूर्वी सीमा अंतर्राज्यीय मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा तक, तत्पश्चात् अंतर्राज्यीय सीमा वनग्राम रनवाही की पश्चिमी सीमा तक तत्पश्चात् रनवाही वनग्राम की उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी सीमा होते हुये अंतर्राज्यीय सीमा रेखा और बिलासपुर-जबलपुर मार्ग के साथ वनग्राम जंगलीखेड़ा की पूर्व दक्षिण एवं पश्चिमी सीमा से मण्डला जिले के भीमडोंगरी गांव तक चलती हुई.

दक्षिण--राजस्व ग्राम परसाटोला, भिलेवानी, कलेगांव, पर्रापुर, मोहगांव, मालखेड़ी की उत्तरी सीमा पूर्व की ओर जाती हुई इसके बाद राजस्व ग्राम मालखेड़ी और खापा की पूर्वी सीमा जब तक कि बंजर नदी से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर बंजर नदी, कक्ष क्रमांक 63, 62 में स्थित वनग्राम मुक्की की पश्चिम उत्तर एवं पूर्वी सीमा कक्ष क्रमांक 64 की पश्चिमी सीमा होते हुए बंजर नदी तक, इसके बाद भैसानघाट आरक्षित वन खण्ड की दक्षिणी सीमा बनाने वाला नाला जो कि समनापुर राजस्व ग्राम तक इसके बाद भैसानघाट आरक्षित वन खण्ड की सीमा बनाने वाली कट लाईन जब तक कि नाला कक्ष क्र. 74 के दक्षिणी-पूर्वी सीमा स्थित नाला तक इसके पश्चात् कक्ष क्र. 75, 103, 102 की दक्षिणी सीमा तत्पश्चात् पश्चिम से पूर्व की ओर भैसानघाट एवं रायगढ़ पश्चिम आरक्षित वन खण्ड की उभय सीमा कक्ष क्र. 96 में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा तक तत्पश्चात् पूर्व दिशा में अंतर्राज्यीय सीमा बालाघाट जिले की छतरपुर वनग्राम की सीमा तक.

पश्चिम—राजस्व ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा, फिर बटवार के छपरी जाने वाली पगडण्डी जो कि आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 630 और 644 के बीच की सीमा बनाती है जब तक छपरी नाला से मिलती है, इसके बाद छपरी नाला जो कि आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 631 और 643 के बीच की सीमा बनाता है, छपरी नाला के उद्‌गम स्थान लिंगा दादर तक इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाती लिंगा दादर की पर्वत श्रृंखला फिर आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 631 एवं 632 की बीच सीमा बनाने वाला दूसरा नाला जब तक आरक्षित वन खण्ड तेंदुआ की दक्षिण सीमा से खटिया-नारंगी राजस्व ग्राम के पास मिलता है, इसके बाद राजस्व ग्राम खटिया-नारंगी की पूर्वी सीमा जब तक आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 91